उदासीनता | बरसात सर पर, सड़कों पर अब भी गड्ढे मौजूद

टूटी सड़कें बारिश में रुलाएंगी, विभाग को सुध नहीं

नागरथ चौक की ओर जाने वाले मार्ग की हालत खस्ता

जबलपुर, नवभारत। शहर के नागरथ चौक एवं अन्य इलाकों में बनी सड़को की हालत खराब होती जा रही है। बात करे अगर तीसरे पुल से नागरथ चौक और कलेक्ट्रेट क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क की दशा बिगड़ चुकी है। यह टूटी सड़के बरसात में रुलाने वाली है। यह हाल तब है जब पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी का बंगला इसी रोड पर स्थित है। बावजूद इसके नागरथ चौक मार्ग पर सड़क बनने का नाम नहीं ले रही है। राहगीरों ने बताया कि खराब सड़कों पर चलना अब दुश्वार हो गया है, जिससे प्रतिदिन हजारों लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वही अधिकारियों की अनदेखी के कारण मरम्मत का कोई काम नहीं हो पा रहा है।

क्वालिटी से हुआ है समझौता

नागरथ चौक से रोजाना गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि यहां बनवाई गई सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब थी। लोगो का कहना है कि खराब गुणवत्ता के कारण सड़क कुछ ही समय में और टूट जाएगी और राहगीरों को बरसात में फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस संबंध में जब अधिकारियों से नवभारत द्वारा पूछा गया तो उन्हेंने बताया कि इस सड़क के निर्माण के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़को का रिपेयरिंग वर्क बरसात के पहले किया जाना है। लेकिन उन्हें इसके बजट या अन्य किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है।

कब तक टिक पाएगी सड़क?

स्थानीय निवासी अनिल सिंह ने बताया कि लगभग दो सौ मीटर लंबी यह सड़क घटिया निर्माण कार्य के साथ बनाई गई थी। कई सालों के इंतजार के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है। घटिया निर्माण के कारण सड़क की गिट्टी पहले से ही उखड़ रही है। लोगो ने यह भी बताया कि एक सप्ताह पहले इसी सड़क पर राहगीर गिरकर चोटिल भी हो गए थे। इसके बाबजूद पैच वर्क का कार्य शुरू नहीं किया गया है लोगो ने सवाल उठाया कि अगर अभी से पैच नहीं किया गया तो बरसात आने के बाद स्थिति और भयानक हो जाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यह सड़क कितने दिनों तक टिक पाएगी?

इनका कहना है

बरसात आने के पहले सभी खराब सड़कों पर पैच वर्क किया जाएगा। जिससे आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

कमलेश श्रीवास्तव
कार्य यंत्री, लोनिवि

नियम तोड़ दौड़ रही बसों पर कार्यवाही

जबलपुर। सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाकर दौड़ रही बसों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। बुधवार को दीनदयाल चौक, आधारताल तिराहा, बिलहरी नाका आदि में यातायात की टीम तैनात कर लोक परिवहन बसों की सघन चैकिंग की गई। इ स दौरान लोक परिवहन बस का फिटनेश, परमिट चैक किया गया है। परमिट शर्तो का उल्लंघन कर इमरजेंसी गेट बंद कर सीट बढवाकर वाहन चालन करने, सुरक्षा मानकों फायर सेफ्टी उपकरण व फस्ट एड बाक्स नहीं होने, चालक द्वारा वर्दी धारण न करने ,पात्रता से अधिक सवारी बैठाने पर कार्यवाही की गई। इस प्रकार विगत 7 दिनों में बसों की सघन चैकिंग की जाकर निमयों का उल्लंघन पाये जाने पर बसों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए समन राशि संग्रहित की गई है। चालानी कार्यवाही के साथ-साथ नियमों की समझाईश भी दी गई । सभी बस मालिक, चालक, परिचालकों को लोक परिवहन बसों से संबंधित नियमों की जानकारी देते हुए सभी को निर्देशित किया गया कि वाहन का वैध बीमा, फिटनेश,पीयूसी हो,वाहन में किसी भी हालत में ओवरलोडिंग न करे, ओवर स्पीडिंग न चलायें,चालक नशे की हालत में बस न चलायें।

विदित हो कि लोक परिवहन बस दुर्घटनाओं में अधिकांष दुर्घटनाओं में जनमानस की हानि का मुख्य कारण बस में आपातकालीन खिड़की, निकास द्वार उपलब्ध न होना या स्थाई तौर से बंद होना है। बसों में आपातकालीन निकास द्वार न होने से असमय अधिकांष यात्रियों की मौत हो रही है। जिस पर शत प्रतिशत सुधार लाने अधीक्षक संपत उपाध्याय निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री अंजना तिवारी के मार्गदर्शन व उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष कुमार शुक्ला, बैजनाथ प्रजापति की उपस्थिति में यातायात पुलिस द्वारा चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

शातिर चोरों ने उगली आधा दर्जन चोरियां

चोरी का माल खरीदने वाला भी पकड़ाया जेवर, नकदी जब्त

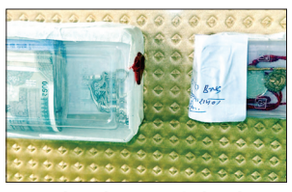

जबलपुर। पाटन पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पूछताछ में आधा दर्जन चोरियों का खुलासा किया है । पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया है । पकड़े गए चोरों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, नगदी 25 हजार रूपए जब्त किए गए ।

एसडीओपी पाटन लोकेश डाबर ने बताया कि पाटन थाने में सुश्री पलक पटेल निवासी चौपाटी वार्ड न. 5 पाटन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कालेज में एस ए की पढाई कर रही है। 23 मई को रात करीब 08:30 बजे पूरे परिवार के साथ भंडारा लेकर ग्वारीघाट गये थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने घर का ताला तोड़करे अलमारी मे रखे 25 हजार रूपये एवं जेवरात पार कर दिए । पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर संदेही सौरभ रजक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जिसने मुकेश पटेल के घर से रात के समय ताला तोडकर जेवर एवं नगदी चोरी करना स्वीकार करते हुये चुराये हुये जेवरों एवं नगदी रूपयो में से 25 हजार रूपये को अपने घर में छुपा कर रखना बताते हुये शेष रूपये खर्च कर देना बताया। इसके साथ ही विवेक बबेले निवासी पाटन के घर में चोरी करना कबूल किया । चोरी का माल गोलू उर्फतुलसीराम को बेचने या गिरवी रख देना बताये ।गोलू उर्फतुलसी राम को अभिरक्षा में लिया गया। जिसने पूछताछ कर सौरभ द्वारा दिये चोरी के जेवरों को बब्लू उर्फशैलेन्द्र सोनी को बेचना बताया। बबलू उर्फशैलेन्द्र सोनी को अभिरक्षा में लिया गया।

गोलू-शैलेन्द्र गए जेल, सौरभ रिमांड पर

तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये आरोपी गोलू एवं शैलेन्द्र सोनी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल निरूद्ध कराया गया आरोपी सौरभ जिसने पूछताछ में पाटन कस्बे में अन्य 4 चोरियां और करना स्वीकार किया है जिसको पुलिस रिमांड में लेकर और चोरी की घटनाओं का खुलासा कर चोरी गये मशरूका की बरामदगी के प्रयास जारी है।

मां की हत्या करने वाला कलयुगी पुत्र गया जेल

बहू से विवाद करने रोकने पर की थी हत्या

जबलपुर। सिहोरा थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक-7, गढ़िया मोहल्ला में मां की हत्या करने वाले आरोपित पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है ।

विदित हो कि गढ़िया मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय करन कोल 25 मई को शराब के नशे में घर पहुंचा था ।जिसने पत्नी क्रांति बाई कोल के साथ विवाद शुरू कर दिया और मारपीट पर उतारू हो गया। करन की 64 वर्षीय मां गिरान बाई ने बीच-बचाव करने पहुंची और बहू का पक्ष लेते हुए बेटे को समझाने का प्रयास किया लेकिन करन कोल ने लोहे के पंखा का स्टैंड हाथ लेकर गुस्से में मां पर वार दिया । इसके बाद उसने सिर पर ताबड़तोड़ वार किए जिस कारण वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर गौरहा में दबिश देते हुये आरोपी करन कोल 30 वर्ष को गिरफ्तार किया। बुधवार को आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है ।

पति के साथ मिलकर पत्नी बेचती थी नशा, 100 पुड़िया स्मैक जब्त

जबलपुर। हनुमानताल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिंधी कैंप में दबिश देकर एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला अपने लेडीज पर्स में स्मैक की 100 पुड़ियां छिपाकर ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने महिला के पास से भारी मात्रा में स्मैक जब्त कर उसके और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

हनुमानताल थाना प्रभारी सुभाषचंद्र बघेल के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि सिंधी कैंप स्थित मीरा मच्छी वाली गली में देशी कलारी के सामने एक महिला अवैध मादक पदार्थ बेचने के इरादे से खड़ी है और ग्राहक का इंतजार कर रही है। सूचना पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एनडीपीएस एक्ट के नियमों के तहत दबिश दी। पुलिस ने घेराबंदी कर हुलिए के आधार पर संदिग्ध महिला माला सोनकर (30), निवासी सिंधी कैंप को पकड़ा गया। जब पुलिस ने उसे कानूनी कार्रवाई की सूचना देकर तलाशी ली, तो उसने अपनी कमर में खोंसकर रखा एक छोटा लेडीज पर्स निकालकर सौंप दिया। पुलिस ने जब उस पर्स को खोला, तो उसमें कागज की 100 छोटी-छोटी पुड़ियां मिलीं। जांच करने पर उनमें स्मैक होना पाया गया, जिसका कुल वजन 2.93 ग्राम दर्ज किया गया।

पति निकला नशे के कारोबार का मुख्य सप्लायर

पकड़े जाने के बाद जब आरोपी माला सोनकर से स्मैक के स्रोत के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने खुलासा कर बताया कि यह नशीला पदार्थ उसका पति बौरा उर्फ मोनू सोनकर लाकर देता था, जिसे वह आगे ग्राहकों को फुटकर में बेचती थी। पुलिस ने आरोपी माला सोनकर के पास से 2.93 ग्राम स्मैक और लेडीज पर्स को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला माला सोनकर और उसके फरार पति मोनू उर्फ बौरा सोनकर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब फरार आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

एक नजर में

मेहंदीबाग के खंडहर से शराब का जखीरे समेत तस्कर पकड़ाया

जबलपुर। कैंट पुलिस ने सदर मेहंदीबाग के पीछे खंडहर में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। मौके से गलगला निवासी एक शातिर शराब तस्कर को दबोचा गया है, जो शराब को खपाने की फिराक में बैठा था। कैंट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र पटले ने बताया कि मेहंदीबाग के पीछे खंडहर में अवैध शराब का बड़ा जखीरा लेकर खड़े दिलीप कुकरेजा (48), निवासी मुमताज बिल्डिंग के पास, गलगला बेलबाग को पकड़ा गया पुलिस ने जब खंडहर की तलाशी ली, तो वहां से 7 कार्टून बरामद हुए। इनमें कुल 320 पाव देशी शराब भरी हुई थी। जब्त की गई इस अवैध शराब की कुल कीमत लगभग 24,320 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने पूरी खेप को जप्त करते हुए आरोपी दिलीप कुकरेजा के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

28 पंजीयन केंद्रों में मूंग-उडद उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू

जबलपुर । जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 25 मई से प्रारंभ हो गई है। समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द का विक्रय करने के लिए किसान 15 जून तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। उप संचालक कृषि उमेश कटहरे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के रकबे के आधार पर जिले में तहसीलवार कुल 28 पंजीयन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। पंजीयन केन्द्रों के अलावा किसान एम पी किसान एप, एम पी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र, साइबर कैफे एवं स्वयं के मोबाइल के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते हैं। उप संचालक कृषि ने ग्रीष्म कालीन मूंग एवं उडद उत्पादक किसानों से 15 जून तक पंजीयन करा लेने का आग्रह किया है।

जहर का सेवन करने से युवक की मौत

जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत गंगासागर कोष्टा मोहल्ला में रहने वाले एक युवक की जहरीली वस्तु का सेवन करने से इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार, कोष्टा मोहल्ला, गंगासागर गढ़ा निवासी सेवाराम सिंगरहा (28) को जहरीली वस्तु का सेवन करने के कारण इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार सुबह लगभग 6 बजे इलाज के दौरान सेवाराम सिंगरहा ने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस नेकार्रवाई करते हुए मर्ग कायम कर लिया है। युवक ने जहरीली वस्तु का सेवन किन परिस्थितियों में और क्यों किया, इसका अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

डेयरी संचालक को पीटा, थार में तोड़फोड़

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत इंद्रानगर सुहागी में शराब पीने के लिए रूपए की मांग पूरी न होने पर बदमाशों ने डेयरी संचालक के साथ मारपीट करते हुए थार कार में तोड़फोड़ कर दी ।इसके बाद आरोपित धमकाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को उत्कर्ष साहू 24 वर्ष निवासी इंद्रानगर सुहागी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि करोंदा वायपास में उसकी शंकर डेयरी के नाम से डेयरी है। दोपहर लगभग 1 बजे उसके घर के बाहर ओम दाहिया आकर आवाज लगाया तो वह बाहर आया, ओम दाहिया उससे शराब पीने के लिये एक हजार रूपये मांगने लगा, उसने रूपये देने से मना किया तभी वहां पर शौर्य दाहिया तथा अनुभव वर्मा भी आ गये और तीनों ने उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट कर चोट पहुंचा दी। उसकी थार कार क्रमांक एमपी 20 जेड क्यू 7148 में तोड़फोड़ किये और जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

पौने तीन घंटे तक चली सुनवाई- सीबीआई ने आवेदन दायर कर किया विरोध

जबलपुर। भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा की दहेज हत्या के अपराध में आरोपी सास तथा पूर्व भोपाल जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रदेश सरकार तथा मृतिका के पिता की तरफ से दायर की गयी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में बुधवार को लगभग पौने तीन घंटे तक सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने भी अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने के संबंध में आवेदन दायर किया। हाईकोर्ट जस्टिस जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किये हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की तरफ से भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह की मॉडल पत्नी ट्विशा शर्मा की 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी। गिरिबाला सिंह को दहेज हत्या के अपराध में जिला न्यायालय से 15 अप्रैल को अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया था। अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने की मांग करते हुए प्रदेश सरकार व मृतिका के पिता नवनिधि शर्मा की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया कि वह अग्रिम जमानत की शर्त अनुसार जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं । पुलिस ने उन्हें 13 मई से 23 मई के बीच पांच नोटिस दिये थे। इसके अलावा उन्होंने 18 मई को प्रेस कांफ्रेंस कर मृतिका के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाये थे। वह भौतिक साक्ष्य जांच एजेन्सी को उपलब्ध नहीं करवाते हुए नष्ट कर रही है। घटना के बाद ट्विशा को नीचे लाने का वीडियो वायरल हुआ था। पूरे वीडियो का सिर्फ उक्त हिस्सा ही मीडिया में जारी किया गया। जिसमें नीचे लाते समय उसे रास्ते में सीपीआर दिया जा रहा था। घटना के बाद 50 मिनट का समय उसे नीचे लाने में लगा था। उसे नीचे लाने की बजाये तत्काल समीप स्थित अस्पताल को सूचित किया जाता तो समय पर उपचार मिलने के कारण उसकी जान को बचाया जा सकता था।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि केस डायरी के अनुसार ट्विशा के 20 लाख रुपये के शेयर गिरिबाला सिंह तथा उनका बेटे समर्थ सिंह अपने नाम पर करवाना चाहते थे। शादी के एन वक्त पर मायके पक्ष के द्वारा मांग करने पर दो लाख रुपये दिये थे। उनकी हैसियत के अनुसार दहेज नहीं लाने का ताना मॉ-बेटे के द्वारा ट्विशा को दिया जाता था।

मॉ-बेटी की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए एफआईआर दर्ज होने के पहले ही 14 मई को आवेदन दायर कर दिया गया था। एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटो बाद ही गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया। न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई किये जाने की बजाय मिनी ट्रायल किया गया है। अग्रिम जमानत के आवेदन के साथ ट्विशा की सभी मेडिकल रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैट तथा यूपीआई के माध्यम के उसके बैंक खाते में डाले गये स्क्रीन शॉट भी प्रस्तुत किये गये थे।

सीबीआई की तरफ से इंटर विनर बनने का आवेदन पेश करते हुए अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने मांग की गयी। सीबीआई के तरफ से तर्क दिया गया कि ट्विशा के पहले पोस्टमार्टम के दौरान गिरिबाला सिंह की रिश्ते में लगने वाली बहन व एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। जिन्हे उपस्थित नहीं रहना चाहिए था और यह जांच का विषय है। इसके अलावा दोनों आरोपियों के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उनकी अभिरक्षा आवष्यक है।

ड्रग्स के कारण दी थी गर्भपात की गोलियां

अनावेदिका गिरिबाला सिंह की तरफ से तर्क दिया गया कि डॉक्टरों ने एंजायटी, ड्रग्स के कारण उसकी स्थिति को देखते हुए गर्भपात की गोलियां दी थी। ट्विशा अकेले रहना चाहती थी और जिस मंजिल में उसने फांसी लगाई वही उसका किचन, बाथरूम व बेडरूम था। घटना के दूसरे दिन 13 तारीख को पुलिस ने उसे सीज कर दिया था। गिरिबाला सिंह तथा उसके बेटे ने यूपीआई के माध्यम से शादी के बाद ट्विशा को सात लाख रुपये से अधिक दिये है। ट्विशा ने कभी भी अपनी सास पर दहेज मांगने तथा प्रताड़ित करने की बात मायके पक्ष वालों से नहीं कही थी। उसके सभी आरोप अपने पति के खिलाफ है। इसके अलावा वह जांच में पूरा सहयोग कर रही है। सीसीटीवी का पासवर्ड नहीं होने के कारण उन्होंने टेक्नीशियन को बुलाया था। पासवर्ड नम्बर लेकर सभी रिकॉर्डिंग उन्हे सौंप दी थी। वायरल वीडियो उसी फुटेज से रिकॉर्ड कर मीडिया में जारी किया गया है। उनकी तरफ से उम्र का हवाला देते हुए कहा गया कि उनके खिलाफ कोई आरोप संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि उम्र, स्थानीय न्यायिक तथा फरार होने का तर्क जमानत का आधार नहीं है। पूर्व में भी हाईकोर्ट अग्रिम जमानत को निरस्त करने के आदेश पारित कर चूका है। जांच के लिए उन्हें अभिरक्षा में लेना आवश्यक है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये।

हठयोग | कौतूहल का विषय बना है तिलवाराघाट के समीप यह दृश्य

भीषण गर्मी में आग के घेरे में बैठकर किन्नर साधु कर रहे हठयोग

जबलपुर। भीषण गर्मी के बीच तिलवारा घाट का एक दृश्य लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। जहां आम लोग 43 से 45 डिग्री तापमान में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं किन्नर अखाड़े की दो साध्वियां तपती धूप के बीच अग्नि साधना में लीन हैं। तिलवारा पुल के पास काली मंदिर के सामने दोनों साध्वियां धूनी रमाकर घंटों तक हठयोग कर रही हैं।

किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी साक्षी अपनी सहयोगी साध्वी पूजा के साथ पिछले तीन दिनों से यह कठिन तप कर रही हैं। साध्वियों ने अपने चारों ओर गोबर के उपलों की अंगीठियां जला रखी हैं और उसी अग्नि के बीच बैठकर साधना कर रही हैं। भीषण गर्मी और आग की तपिश के बीच उनकी यह तपस्या देखने वालों को हैरान कर रही है ।साध्वी साक्षी का कहना है कि उनका यह हठयोग हिंदू धर्म और गौमाता की रक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी उठाई। साध्वी ने बताया कि उन्होंने करीब तीन वर्ष पहले सन्यास ग्रहण किया था और हाल ही में माघ मेले के दौरान उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है। स्थानीय लोगों के अनुसार इतनी तेज धूप में कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल है, लेकिन साध्वियों की यह कठिन साधना लोगों को आध्यात्म और सनातन परंपरा की शक्ति का संदेश दे रही है। तिलवारा घाट पर बड़ी संख्या में लोग इस अनोखी अग्नि तपस्या को देखने पहुंच रहे हैं।

मुर्गी पालन योजना में बड़े घोटाले का आरोप

नवभारत, जबलपुर। प्रदेश सरकार की मुर्गी पालन योजना के तहत जबलपुर में वितरित किए जाने वाले कड़कनाथ एवं देसी नस्ल के चूजों और उनके दाने के वितरण में बड़े पैमाने पर घोटाले का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया गया है और चेतावनी दी गई है कि यदि इस पूरे मसले पर जल्द ही दंडात्मक कार्यवाही नहीं होती है, तो उपसंचालक प्रफुल्ल मून और उनके पूरे विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा।

चूजों की मौत का खेल

राज्य शासन द्वारा जबलपुर जिले को चूजों की कुल 130 यूनिट भेजी गई थी, जिसमें प्रत्येक यूनिट में 45 चूजे शामिल थे। विभागीय मिलीभगत के चलते इनमें से 38 यूनिट के सभी चूजों की मौत होना दस्तावेजों में दर्शा दिया गया। इसी प्रकार कड़कनाथ की 78 यूनिट में से 29 यूनिट के चूजों को भिन्न यानी मृत या गायब होना बताया गया है। यह कोई सामान्य लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित घोटाला है, जो उपसंचालक द्वारा रचा गया है। कड़कनाथ नस्ल के मुर्गों का मांस पौष्टिक एवं अत्यधिक महंगा होता है, जिसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब हितग्राहियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

दाने की कालाबाजारी

चूजों के लिए प्रति बोरी निर्धारित 58 किलोग्राम निशुल्क दाने की जगह उपसंचालक व उनकी टीम ने हितग्राहियों को मात्र 30 से 32 किलो दाना दिया और शेष हिस्सा खुले बाजार में बेच दिया। अखबारों में साक्ष्यों सहित प्रमुखता से छपने के बाद भी अब तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है, जिसे लेकर भारी रोष व्याप्त है।